न्यायालय जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी:: श्री एल.एन. मंत्री, आई.ए.एस

प्रकरण संख्या :: 1/2025
जीसीएमएस नम्बर :: 2025/5

अपीलाण्ट :–	**बनाम**	**रेस्पोडेण्ट्स :–**
श्रीमती मशरी देवी पत्नी स्वर्गीय श्री भुराराम जाति घांची निवासी– ग्राम 49 घांचियों का बास, बाला, तहसील पाली, जिला पाली।		1. श्री नेमाराम पुत्र श्री भूराराम, 2. कमली पत्नी नेमाराम जाति घांची ग्राम 49 घांचियों का बास, बाला, तहसील पाली जिला पाली 3. उपखण्ड अधिकारी पाली

प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007

उपस्थिति :–

अपीलाण्ट उपस्थित।
रेस्पोडेण्ट्स उपस्थित।

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 12.02.2025

अपीलाण्ट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 16 माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 तहत विरूद्ध उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पाली के प्रकरण संख्या 03/2024 बअनवान मशरी देवी बनाम नेमाराम वगैरह में आदेश दिनांक 18.11.2024 को निरस्त कराने हेतु पेश किया गया है। अपीलाण्ट का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेण्ट्स को जरिए सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट्स वक्त बहस उपस्थित हुए। बहस उभयपक्षीय सुनी गई।

अपीलाण्ट ने अपील–मीमो में वर्णित कथनों को दोहराते हुए वक्त बहस निवेदन किया कि उपखण्ड अधिकारी पाली ने अपने न्यायालय के प्रकरण संख्या 03/2024 में पारित निर्णय दिनांक 18.11.2024 में आदेश पारित करते हुए अपीलाण्ट के भरण पोषण बाबत् प्रत्येक माह मात्र 2000 रूपये निर्धारित किये जो पूर्णतया विधि विरूद्ध है। रेस्पो. संख्या 01 जो कि अपीलाण्ट का पुत्र है व रेस्पो. संख्या 02 जो अपीलाण्ट की पुत्रवधु है ये अपीलाण्ट के ही मालिकाना शुदा रहवासीय मकान में रहते है वे न तो अपीलाण्ट को उक्त मकान में रहने देते है व मकान से बेदखल करते है व रेस्पो. संख्या 02 द्वारा रोज अपीलाण्ट के साथ मारपीट की जाती है फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र भरण पोषण हेतु 2000 रूपये की राशि निर्धारित की है जो पूर्णतया विधि विरूद्ध है। अतः अपीलाण्ट के विरूद्ध जो अधीनस्थ न्यायालय ने 2000 रूपये की मासिक भरण–पोषण राशि का आदेश पारित किया गया है उसे प्रत्येक माह 10000 रूपये निर्धारित किया जावे व रेस्पोडेण्ट्स को अपीलाण्ट की मालिकाना शुदा रहवासीय सम्पति व मकान से बेदखली के आदेश फरमावे।

जिला कलक्टर, पाली

रेस्पोडेण्ट संख्या 02 ने अपीलाण्ट की बहस का खण्डन करते हुए निवेदन किया कि वे अपीलाण्ट की सेवा चाकरी करने हेतु तैयार व उसके पति रेस्पो. संख्या 01 मानसिक बीमार होने से वह मासिक भरण–पोषण जो राशि निर्धारित की गई है वह अदा कर पाने में सक्षम नहीं है। अतः अपील–अपीलाण्ट सारहीन होने से खारिज फरमावे।

प्रकरण में अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट्स को सुना गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया तो यह पाया कि प्रकरण में रेस्पो. संख्या 01

Scanned with ACE Scanner

पुत्र जिस भवन में रहता है वह भवन उनकी माता के नाम है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आवेदक अपीलाण्ट के रेस्पो. के उक्त मकान से बेदखली के आदेश पर कोई निर्णय नहीं किया है तथा भरण–पोषण राशि भी 2000 रूपये ही तय की है उसे लेकर यह अपील प्रस्तुत की गई है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि एक वृद्ध माता जिसकी आयु 72 वर्ष है उसे सिर्फ 2000 रूपया महीना भरण–पोषण कदापि पर्याप्त नहीं है। अतएव अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.11.2024 को अपास्त करते हुए भरण–पोषण राशि निर्णय दिनांक से 5000 रूपये प्रतिमाह किया जाता है। यह राशि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 प्रति माह 5 तारीख तक अपीलाण्ट को अदा करेंगे।

प्रकरण में यह भी प्रकट आया कि रेस्पो. संख्या 01 नेमाराम जो कि अपीलाण्ट के पुत्र है उनका मानसिक इलाज चल रहा है, परन्तु यह भी स्पष्ट श्री नेमाराम व उनकी पत्नी रेस्पो. संख्या 02 द्वारा उनकी माता से सद्भावनापूर्वक व्यवहार नहीं किया जाता है। इसलिए माता ने पुत्र के विरूद्ध भरण–पोषण का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है एवं उसके द्वारा मारपीट के भी कथन एवं फोटोग्राफ्स भी प्रस्तुत किये है। माता आवेदक अपीलाण्ट के नाम जारी पट्टेशुदा मकान में विपक्षी रेस्पो. संख्या 01 व उसकी पत्नी रहते है एवं अपनी माता के मकान में रहने के बावजूद उसके द्वारा किया जाने वाला सद्भावनापूर्वक व्यवहार नहीं होने के प्रारम्भिक साक्ष्य के आधार पर तथा अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत माननीय उच्च न्यायालय की न्यायिक नजीर डी. बी. स्पेशल रिट संख्या 920/2019 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि माता–पिता की वह सम्पति चाहे सशर्त उपहार में विलेख दी गई हो अथवा संबंधित कानून में धारा 23 में वर्णित प्रावधान जिसमें यह वर्णित किया गया है कि **"by way of gift or otherwise"** में **"otherwise"** को माननीय न्यायालय ने यह परिभाषित किया गया है कि **"otherwise"** का आशय पुत्र के पास हस्तानान्तरण से संबंधित है जिसमें कब्जा भी शामिल है, अर्थात् पुत्र सिर्फ कब्जे के आधार भी माता के मकान में रहता है तो भी उसका दायित्व है कि वह भरण–पोषण करे अन्यथा उसकी उस मकान से जो माता–पिता के नाम है उससे बेदखली की जा सकती है।

प्रकरण में न्यायालय क्योंकि पुत्र मानसिक बीमारी से पीड़ित है तो नरम रूख रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.11.2024 को अपास्त करते हुए भरण–पोषण राशि 2000 रूपये के स्थान पर 5000 रूपये करते हुए न्यायालय हाजा यह भी आदेश देना उचित समझता है कि रेस्पोडेण्ट विपक्षी निर्धारित भरण–पोषण राशि तीन माह की अवधि में पुराना **arrear** एवं प्रतिमाह की राशि निरन्तर अपीलाण्ट को देता रहे तथा यदि अपीलाण्ट बताये कि रेस्पोडेण्ट उसके साथ सद्भावनापूर्वक व्यवहार करे तो उसे अपीलाण्ट के मकान में रहने दिया जाये अन्यथा तीन माह की अवधि के बाद विचारण न्यायालय अपीलाण्ट के प्रार्थना–पत्र पर रेस्पो. विपक्षीगण को, मुआवजा भुगतान नहीं किये जाने पर वसूली एवं बेदखली की कार्यवाही तथा सद्भावना नहीं रखे जाने एवं सेवा–सुश्रुषा नहीं किये जाने पर भी बेदलखली की कार्यवाही सुनिश्चित करे। उपर्युक्त निर्देशों के साथ अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 18.11.2024 अपास्त करते हुए भरण–पोषण राशि वृद्धि एवं सशर्त्त बेदखली के आदेश जारी किये जाते है। तद्नुसार पालना हो। निर्णय की सत्यप्रति उभयपक्ष को पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक **12.02.2025** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली

Scanned with ACE Scanner